# उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर (निरसन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1979)

# उत्तर प्रदेश वृहत् जोत–कर (निरसन) अधिनियम, 1979

**[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1979]**

**[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1979 के रूप में दिनांक 14 सितम्बर, 1979 को उ0 प्र0 गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]**

**उत्तर प्रदेश वृहत् जोत–कर अधिनियम, 1963 का निरसन करने के लिए**

## अधिनियम

**भारतीय गणतंत्र को तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–**

**संक्षिप्त नाम**

**1**–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृहत् जोत–कर (निरसन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 का निरसन**

**2**–पहली जुलाई, 1979 को, औ उस दिन से, उत्तर प्रदेश वृहत् जोत–कर अधिनियम, 1963 निरसित हो जायेगा।

**3**–धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन से––

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता का दायित्व पर, या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी गणराज्य के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर, या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार इस प्रकार संस्थित किया, चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकता है, मानो उक्त अधिनियम निरसित न किया गया हो।

**उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1979 का निरसन**

**4**–उत्तर प्रदेश वृहत् जोत–कर (निरसन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

---